


न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा  
6(ए) वाद संख्या-13/2015  
बिहार सरकार बनाम मो० मोकर्रम एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
30/01/15	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक-30 दिनांक-12.01.2015 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि दिनांक-24.12.14 को दरभंगा बाजार समिति प्रांगण में शेड संख्या-11 के उत्तर खड़े ट्रक संख्या बी०आर० 33ए-7369 पर लदे 200 बोड़े लवारिस पड़े खाद्यान्न (चावल) 99.60 क्विं० को जप्त कर दिनांक-25.12.2014 को मब्बी ओ०पी० सदर थाना में प्राथमिकी संख्या-490/2014 दर्ज की गयी। जप्त चावल को सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम गोदाम, सिंहवाड़ा को अगले आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा में जप्त खाद्यान्न को अधिहरण करने की अनुशंसा की है।</p> <p>अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत मेरा यह समाधान होता है कि जप्त खाद्यान्न खराब होना संभाव्य है।</p> <p>अतएव अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि सदर थाना (मब्बी ओ०पी०) में दर्ज प्राथमिकी संख्या-490/14 में जप्त खाद्यान्न को स्थानीय बाजार में बिक्री कराकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करे।</p> <p>प्रतिपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत करे।</p> <p>अभिलेख पुनः दिनांक-16/01/15 को रखे।</p> <p style="text-align: center;">समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।</p> <p>शा.पां.क 243   ति० वि० दि० 07-02-2015</p> <p>प्रतिपक्षी :- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को सूचनाएं प्रेषित। अतएव अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा जारी आदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन जमा करने का आदेश।</p>	

  
 क/रा उप-निगाह  
 ति० वि० दि० 07-02-2015  
 दरभंगा